

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर
एल ब्लॉक, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अतारांकित प्रश्न संख्या : 49

दिनांक : 07.06.2018

प्रश्न कर्ता का नाम : श्री एस. के. बग्गा

क्या उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	दिल्ली में शराब कि कितनी दुकानों को लाइसेंस दिया गया है ;	दिल्ली में कुल करीब 860 शराब की दुकानें हैं ।
ख)	शराब की दुकान को बंद करवाने की क्या प्रक्रिया है ;	दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009, के अनुच्छेद - 25 के तहत सार्वजनिक शांति के संरक्षण के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा दुकानों को अस्थायी तौर पर निर्धारित समय अथवा अवधि के लिए बंद किया जा सकता है । अनुच्छेद -25 की कॉपी संगलग्न "क" पर है । दिल्ली आबकारी नियम, 2010, के नियम 22(2) के अंतर्गत दुकानों को जनहित में स्थान्तरित किया जा सकता हैं ।
ग)	दुकान बंद करवाने में कितना समय लगता है;	इस प्रक्रिया की कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है ।
घ)	शराब की दुकानों पर नकली शराब बेचे जाने के कितने मामले सामने आये है;	ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है ।
इ)	शराब की दुकानों पर नकली शराब पकड़े जाने पर क्या कार्रवाई की जाती है ; और	किसी भी शराब की दुकानों पर नकली शराब पकड़े जाने पर दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009, के अनुच्छेद 33 से अनुच्छेद 38 के अंतर्गत उचित कार्यवाही की जाती है ।
च)	दिल्ली में शराब कि नयी दूकान खोलने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, तथा कितनी फीस ली जाती हैं ?	दिल्ली में शराब के दुकानों का लाइसेंस दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009, तथा दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2010, एवं लाइसेंस की नियम एवं शर्तों के अनुसार दिया जाता है । वर्तमान में शराब की नयी दुकान का लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है ।



(Handwritten Signature)
(आबकारी आयुक्त)

25. Closing of shops for preservation of public peace

The Deputy Commissioner or any other officer authorized by him may, by notice in writing to the licensee, require that any shop in which any liquor is sold shall be closed at such time or for such period as he may think necessary for preservation of public peace:

SECTION

THE DELHI EXCISE ACT, 2009 11

PROVIDED that the total closure days in the licensing year shall not exceed fifteen days in all or more than three days continuously at any one time:

PROVIDED FURTHER that if the Excise Commissioner is of the opinion that any particular shop or all shops in any particular area shall be closed for a period exceeding fifteen days in a year or more than three days continuously at any one time, he may do so for reasons to be recorded.